

74

न्यायालय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य महोदय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म. प्र.
PBR/ गिरानी/नीमच/भूरा/2018/1476 प्रकरण क्रमांक

1. नानूराम पिता हीरालाल जी लौहार,
आयु-70 वर्ष, निवासी-मकान नम्बर 32,
स्कीम नम्बर 10 नीमच तह. व जिला
नीमच म.प्र.
2. सुरेश पिता बद्रीलाल जी लौहार,
आयु-42 वर्ष, निवासी-पिपली चौक,
नीमचसिटी, नीमच तह. व जिला
नीमच म.प्र.
3. अण्छीबाई पति स्व. अमरचंद जी धाकड़,
आयु-75 वर्ष, निवासी- खेड़ी मोहल्ला,
नीमचसिटी, नीमच तह. व जिला
नीमच म.प्र.
4. रमेशचंद पिता स्व. अमरचंद जी धाकड़,
आयु-52 वर्ष, निवासी- खेड़ी मोहल्ला,
नीमचसिटी, नीमच तह. व जिला
नीमच म.प्र.
5. संकारलाल पिता चम्पालाल जी धाकड़,
आयु-68 वर्ष, निवासी- खेड़ी मोहल्ला,
नीमचसिटी, नीमच तह. व जिला
नीमच म.प्र.
6. निरंजन पिता मांगीलाल जी लौहार,
आयु-68 वर्ष, निवासी-पिपली चौक,
नीमचसिटी, नीमच तह. व जिला
नीमच म.प्र.

—गिरानीकर्ता

विरुद्ध

1. सागरबाई पति बृजमोहन जी धाकड़,
आयु-55 वर्ष, निवासी-राजहंस टाईल्स के पास,
नीमच-सिंगोली रोड़, नीमचसिटी, नीमच
तह. व जिला नीमच म.प्र.
2. घीसालाल पिता रामचन्द्र जी सुराह,
आयु-66 वर्ष, निवासी-पिपली चौक,
नीमचसिटी, नीमच तह. व जिला
नीमच म.प्र.

—प्रत्यर्थागण

निगरानी प्रार्थना पत्र आदरणीय अधिनस्त न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
नीमच के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 02/अपील/17-18 में पारीत आदेश
दिनांक 16-2-2018 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता
1959


मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सादर
निवेदन है कि -

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/नीमच/भू.रा./2018/1476

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रताप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	